

परियोजना का नाम :-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड बालगंगा में
RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial
(Approx 35 Poles per KM) from Sandur – Piploodhar -
Kyunti (Total Length-17.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे
ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं
सोयम वनभूमि 0.525 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks
Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)
को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ के
परिवारों/जनसंख्या एवं पर्यटकों को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
Padagali	17	116
Sandul	09	55
Kaunti	15	96


प्रबोक्ता एजेन्सी
Sulhir chauhan
GM VTL

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- पडागाँवी

तहसील- पडागाँवी

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- VINDHYA TELELINKS LTD MOHALI (PUNJAB) के टेली की स्थापना के माध्यम से
OFC बिना जी. डी. प्लाट रोड के किनारे है और अन्य किसी भी अधिकारित नहीं है।
RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From - Ghansali - Kandi (Paukhal) Kaundi - Pipuladhar - Sersaul.

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित है0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पडागाँवी द्वारा दिनांक 21/11/2017 को संपन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

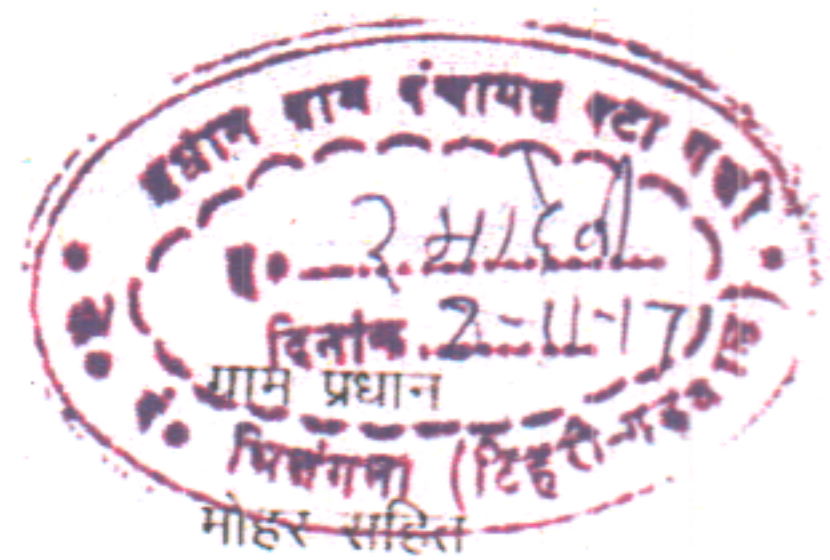
चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पडागाँवी
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित है0 (वन स्वरूप) बंजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

है0

विमला देवी
ग्राम सचिव विमला देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
मोहर सिद्धेश्वर किरौद्य, विकासखण्ड मिलगना
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रयोक्ता एजेन्सी



दिनांक 08/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा - बंमलों की काण्डी पडागाली

क्रमांक	ग्रामसभामें उपस्थित विरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरज भण्डारी	Sury Bhandari
2	पुष्पा भण्डारी	पुष्पा
3	सांनद मैगी	P. N. Megi
4	प्रताप सिंह पंवार	P. S. Pannu
5	मोहित भण्डारी	मोहित भण्डारी
6	रोहित कुकीरी	रोहित
7	रुकमणी देवी	Rukmani
8	सीता देवी	SITA
9	मोहन लाल	MOHAN LAL
10	चतर सिंह चौहान	चतर सिंह
11	पपीन्द्र रावत	पपीन्द्र रावत
12	सुरेन्द्र चौहान	Surender Chaudhary
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		